<u>रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड</u>

<u>बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधक वर्ग के लिए</u>

आचार संहिता

1. <u>परिचय</u>

1.1 इस आचार संहिता (''इस संहिता'') को रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (आरईसी लिमिटेड), जिसे इसके आगे ''कारपोरेशन'' के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, की ''बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधक वर्ग के लिए आचार संहिता'' कहा जाएगा।

1.2 यह संहिता कारपोरेशन के कार्यों में नीतिपरक और पारदर्शी प्रक्रिया पर बल देने के मिशन और उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कारपोरेशन द्वारा अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण और मूल्यों के अनुरूप है।

1.3 इस समय कंपनी के अपने आचरण, अनुशासन और अपील नियम (''सीडीए नियम'') हैं। ये नियम कंपनी के सभी स्थायी कर्मचारियों के आचरण पर लागू हैं, जिसमें पूर्ण-कालिक निदेशक शामिल हैं परंतु गैर-पूर्णकालिक निदेशक तथा औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 के अधीन स्थायी आदेशों द्वारा शासित कर्मचारी शामिल नहीं हैं। बोर्ड के सदस्यों के लिए यह संहिता अब आदर्श सूचीयन (मॉडल लिस्टिंग एग्रीमेंट) के खंड 2.18 के उपबंधों के अनुरूप विशेष तौर पर तैयार की गई है। पूर्णकालिक निदेशकों और बोर्ड के स्तर से नीचे के वरिष्ठ प्रबंधक वर्ग के लिए इस संहिता को सीडीए नियमों के साथ मिलाकर पढ़ा जाए।

1.4 इस संहिता का प्रयोजन कापोरेशन के कार्यों में नीतिपरक और पारदर्शी प्रक्रिया अपनाए जाने पर बल देना है। इस संहिता में शामिल विषय कारपोरेशन, उसके हितधारकों और कारोबारी भागीदारों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि कारोबार कारपोरेशन के व्यक्त मूल्यों के अनुरूप किया जा सके।

1.5 बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधक वर्ग की यह संहिता आदर्श सूचीयन अनुबंध (मॉडल लिस्टिंग एग्रीमेंट) के खंड 2.18 के उपबंधों के अनुरूप तैयार की गई है।

1.6 यह............. से लागू होगी (निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन दिए जाने की तारीख)

2. <u>परिभाषाएं और व्याख्या</u>

इस संहिता में, अर्थ या संदर्भ के प्रतिकूल कुछ न दिए होने पर निम्नलिखित अभिव्यक्तियों का अर्थ निम्नलिखित अनुसार होगाः-

2.1 ''बोर्ड/निदेशक बोर्ड'' का अर्थ है कारपोरेशन का निदेशक मंडल

2.2 ''बोर्ड के सदस्यों'' का अर्थ है कारपोरेशन के निदेशक मंडल में शामिल सदस्य

2.3 ''पूर्णकालिक (फंक्शनल) निदेशक'' का अर्थ होगा कारपोरेशन में पूर्णकालिक नियोजनाधीन बोर्ड सदस्य।

2.4 ''स्वतंत्र निदेशक'' का अर्थ होगा बोर्ड के वे सदस्य जो अंशकालिक गैर-शासकीय निदेशक हैं और कारपोरेशन

के पूर्णकालिक नियोजन में नहीं हैं।

2.5 ''सरकारी निदेशक'' का अर्थ होगा बोर्ड के वे सदस्य जो अंशकालिक शासकीय निदेशक हैं और कारपोरेशन के पूर्णकालिक नियोजन में नहीं हैं।

2.6 ''नातेदार'' शब्द का अर्थ होगा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 2(41) और धारा 6 में यथा परिभाषित नातेदार (परिशिष्ट-1 देखें)

2.7 ''हित संघर्ष'' का अर्थ है वह स्थिति जहां किसी व्यक्ति विशेष के हितों का कारपोरेशन के हितों के साथ संघर्ष हो।

2.8 ''वरिष्ठ प्रबंधकवर्ग'' का अर्थ है बोर्ड इतर सदस्य। इनमें कारपोरेशन के सभी कार्यपालक निदेशक और महाप्रबंधक शामिल हैं।

इस संहिता में पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्दों और एकवचन शब्दों से बहुवचन या बहुवचन शब्दों से एकवचन शब्दों का अर्थ भी ग्रहण किया जाए।

3. <u>अनुप्रयोज्यता</u>

यह संहिता निम्नलिखित व्यक्तियों पर लागू है-

(क) सभी फंक्शनल निदेशक

(ख) सभी गैर पूर्णकालिक निदेशक (इनमें स्वतंत्र निदेशक और सरकारी निदेशक शामिल हैं) जब तक कि इस संहिता के कुछ उपबंधों से विशेष तौर पर छूट न दी गई हो।

(ग) वरिष्ठ प्रबंधक वर्ग

4. <u>मुख्य आवश्यकताएं</u>

किसी कारोबार के लिए नैतिकतापूर्ण कारोबारी आचरण अत्याधिक महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधक वर्ग से अपेक्षा की जाती है कि वे इस संहिता को पढ़ेगें, समझेंगे और अपने दैंनदिन कार्यों में इन मानकों का पालन करेंगे। वे कारपोरेशन के सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखते हुए सौंपे गए प्राधिकार के भीतर कार्य करेंगे और निम्नलिखित बातों का पालन करेंगे-

(i) वे इसके सभी कार्यों और संव्यवहारों में <u>उच्च स्तरीय सत्यनिष्ठा</u> को कायम रखते हुए इष्टतम <u>सावधानी,</u> <u>कौशल</u> और <u>कर्मठता</u> के साथ <u>निष्पक्ष युक्तिसंगत</u> और सदाशयी तरीके से कार्य करेंगे।

(ii) वे नैतिकतापूर्ण तरीके से, धोखाधड़ी या कपट के बिना और स्वीकृत व्यावसायिक मानकों के अनुरूप कार्य करेंगे। वे अपनी निर्णय स्वायत्तता पर आंच आने दिए बिना अपने न्यासी कर्तव्यों को पूरा करेंगे।

नैतिकतापूर्ण आचरण में व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंधों में वास्तविक या जान पड़ने वाले हित-संघर्षों को नैतिक रूप से सुलझाना शामिल है।

(iii) वे किसी मामले में कोई ऐसा निर्णय नहीं लेंगे जिससे कोई हित-संघर्ष संभव हो या उनकी राय में ऐसा होने की संभावना हो।

वे सभी ऐसे भौतिक, वित्तीय और वाणिज्यिक संव्यवहारों, यदि कोई हो, के संबंध में **बोर्ड को बताएंगे** जहां उनका कोई ऐसा निजी हित मौजूद हो जिसका सामान्यतः बोर्ड के हित से संघर्ष हो सकता हो।

(iv) वे अपने पद पर रहते हुए निम्नलिखित के साथ कोई कारोबार नहीं करेंगे-

(क) कोई नातेदार या (ख) कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसमें वह या उनका कोई संबंधी सदस्य या निदेशक हो (ग) सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी जिसमें वह या उनका कोई नातेदार 2औ या ज्यादा की चुकता शेयरपूंजी धारक हो, (घ) कोई फर्म जिसमें कोई नातेदार भागीदार हों उस स्थिति के अलावा जबकि विधि द्वारा अन्यथा उपबंधित न होने पर बोर्ड से पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया हो।

(v) किसी ऐसे ठेकेदार या आपूर्तिकर्ता से संव्यवहार नहीं करेंगे जो व्यावसायिक, पक्षपात रहित और प्रतियोगी आधार पर कारोबार करने या बोर्ड के सदस्यों/कारपोरेशन के विवेकाधिकार को प्रभावित कर सकता हो।

(vi) निगम से संबंधित कारोबारी संव्यवहारों में कोई निजी और/या वित्तीय लाभ प्राप्त करने से बचेंगे।

(vii) कोई ऐसा पद या कार्य ग्रहण नही करेंगे या किसी ऐसे बाहरी कारोबार या हितार्थ में शामिल नहीं होंगे जिससे निगम के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।

(viii) वे अपने लाभ के लिए ऐसे सुअवसरों को भुनाने का प्रयास नहीं करेंगे जो नैगमिक संपत्ति, सूचना या हैसियत के फलस्वरूप उपलब्ध हुए हों। लेकिन उस स्थिति में छूट होगी जबकि इस अवसर के विषय में निगम के निदेशक मंडल को लिखित में पूर्ण जानकारी दे दी गई हो परंतु बोर्ड ऐसे अवसर का लाभ न लेना चाहता हो और उसे इस अवसर से लाभ उठाने की अनुमति दे दे।

(ix) वह ग्राहकों, विक्रेताओं, परामर्शदाताओं आदि से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई ऐसा प्रस्ताव, भुगतान, देयता का वादा या किसी प्रकार की राशि, उपहार या कोई मूल्यवान वस्तु न तो मांगेगा और न ही प्राप्त करेगा जिसे किसी कारोबारी निर्णय, किसी कार्य को करने या न करने, किसी प्रकार की धोखाधड़ी के वादे या किसी प्रकार की धोखाधड़ी के वादे के लिए मिलने वाले मौके के लिए इरादतन कार्रवाई माना जाए।

(x) ऐसा कोई वक्तव्य नहीं देगा जिसमें सरकार या कारपोरेशन की किसी नीति या कार्य की आलोचना की गई हो या जिससे कारपोरेशन और जनता, जिसमें हितधारक भी शामिल हैं, के संबंधों पर बुरा असर पड़ सकता हो।

परंतु इस खंड में निर्दिष्ट कोई भी बात बोर्ड के सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधक वर्ग द्वारा दिए गए ऐसे वक्तव्यों या अभिव्यक्त विचारों पर लागू नहीं होगी जो सर्वथा तथ्यात्मक प्रकृति के होंगे या जो उनके द्वारा उनकी पदीय हैसियत से या उन्हें सौंपी गई डयूटी के सम्यक निष्पादन के दौरान व्यक्त किए जाएंगे।

(xi) नैतिक चरित्र दुर्बलता दर्शाने वाला कोई अपराध नहीं करेंगे।

5) कानूनों का अनुपालन

- बोर्ड के निदेशक/वरिष्ठ प्रबंधक वर्ग सभी लागू कानूनों, नियमों और विनियमों, नीतियों और कार्यविधियों का कारपोरेशन द्वारा यथा अंगीकृत रूप में अनुपालन करेंगे।

  बोर्ड की बैठकों, कार्यसूची, त्रैमासिक रिपोर्टों, परिचालन द्वारा संकल्प आदि के संबंध में बोर्ड परिशिष्ट-IV देखें।

- वे निगम पर लागू (समय-समय पर यथा संशोधित) सरकार की सभी नीतियों का अनुपालन करेंगे।

6) नैगमिक प्रकटन संव्यवहार

नैगमिक प्रकटन संव्यवहार संहिता किसी बाह्य एजेंसी को या किसी वेबसाइट पर या किसी अन्य सार्वजनिक संचार माध्यम पर दायर या प्रस्तुत की गई रिपोर्टों और दस्तावेजों के सही, नियत समय पर तथा बोधगम्य प्रकटन को नियमित करती है। तद्नुरूप बोर्ड/वरिष्ठ प्रबंधक वर्ग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कारपोरेशन वित्तीय रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कारपोरेशन के प्रकटन नियंत्रणों और प्रक्रियाओं और आंतरिक निर्णयों के अनुरूप कार्य करें। कारपोरेशन के बोर्ड के सदस्य/वरिष्ठ प्रबंधक वर्ग ऐसी जानकारी को प्रकट करने के लिए स्वतंत्र है जिसे प्रकट करना लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशा-निर्देशों या विद्युत मंत्रालय के निदेशों के अनुरूप जरूरी है।

7. परिसंपत्तियों की सुरक्षा

बोर्ड के सदस्य/वरिष्ठ प्रबंधक वर्ग कारपोरेशन की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करेंगे। इन परिसंपत्तियों में भौतिक परिसंपत्तियां, सूचनाएं तथा बौद्धिक अधिकार शामिल हैं और इनका उपयोग व्यक्तिगत लाभ या कारपोरेशन को हानि पहुंचाने की दृष्टि से नहीं किया जाना चाहिए।

8. संहिता में संशोधन

(क) संहिता के सभी उपबंधों को निगम के निदेशक बोर्ड द्वारा समय-समय पर संशोधित/आशोधित किया जा सकता है और ऐसे सभी संशोधन/आशोधन इनमें निर्दिष्ट तारीख से लागू माने जाएंगे।

(ख) इस संहिता के किसी उपबंध में किए गए किसी भी संशोधन का कारपोरेशन के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन करवाया जाना जरूरी है और इसे लागू नियमों और विनियमों के अनुसार संशोधन के स्वरूप के ब्यौरे के साथ तत्काल कारपोरेशन की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

ग) आदर्श सूचीयन अनुबंध (मॉडल लिस्टिंग एग्रीमेंट) के खंड 2.18 के अनुसार यह संहिता और इसमें किया गया कोई भी संशोधन/आशोधन कारपोरेशन के वेबसाइट अर्थात् www.recindia.nic.in पर उपलब्ध कराया जाएगा।

9. वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट भेजना

9.1 आदर्श सूचीयन अनुबंध के खंड 2.18 के अनुसार सभी बोर्ड सदस्य प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर इस संहिता के अनुपालन को सुनिश्चित करेंगे। कारपोरेशन की वार्षिक रिपोर्ट में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय की घोषणा शामिल की जाए। वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट का प्रपत्र (प्रोफार्मा) परिशिष्ट-II में दिया गया है। वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट कंपनी सचिव के पास भेजी जाएगी। यदि कोई निदेशक/वरिष्ठ प्रबंधक वर्ग का कार्मिक वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय कारपोरेशन को छोड़ेगा तो वह इस संहिता के अनुपालन को सुनिश्चित करने संबंधी सूचना कंपनी सचिव को देगा।

9.2 कारपोरेशन का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कारपोरेशन के सभी पूर्णकालिक निदेशक यह प्रमाण-पत्र बोर्ड को देंगे कि जहां तक उन्हें पता है और उनकी जानकारी में है वर्ष के दौरान कारपोरेशन द्वारा कोई ऐसा संव्यवहार नहीं किया गया है जिसे कपटपूर्ण, गैर-कानूनी या इस संहिता का उल्लंघन कहा जा सकता हो।

10 आचार संहिता अनुपालन न करना

बोर्ड को ऐसे व्यक्ति की गोपनीयता और सुरक्षा को सुनिश्चित करना होगा जो सद्भावना से इस संहिता के, कानून के या कंपनी की अन्य नीतियों के उल्लंघन या संदिग्ध उल्लंघन की या किसी ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध रिपोर्ट देगा जो ऐसे उल्लंघन से संबंधित किसी जांच या प्रक्रिया में सहायता कर रहा हो।

इस संहिता में किसी प्रकार की छूट देना क्या कारपोरेशन के हित में होगा, यह फैसला बोर्ड कर सकता है। बोर्ड/प्रबंधक वर्ग के प्रत्येक सदस्य को इस संहिता का अनुपालन करना होगा। इसके अनुपालन में आने वाली किसी प्रकार की समस्या को अनुपालन अधिकारी अर्थात् कंपनी सचिव के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

यदि बोर्ड के सदस्य या वरिष्ठ प्रबंधक वर्ग कार्मिकों द्वारा इस संहिता का किसी प्रकार से उल्लंघन किया जाएगा तो निदेशक मंडल उल्लंघन के लिए शास्ति पर विचार करेगा ताकि यथा आवश्यक समझी जाने वाली उपयुक्त कार्यवाही प्रारंभ की जा सके।

11. संहिता की पावती भेजना

सभी बोर्ड सदस्य/वरिष्ठ प्रबंधक वर्ग कार्मिक इस संहिता या इसमें किए गए किसी प्रकार के आशोधन (आशोधनों) की पावती परिशिष्ट-III में दिए गए पावती प्रपत्र में इस उल्लेख के साथ कंपनी सचिव को भेजेंगे कि उन्होंने इस संहिता को प्राप्त कर लिया है, पढ़ लिया है, समझ लिया है तथा वे इसके अनुपालन के लिए सहमत हैं।

परिशिष्ट-**I**

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड
बोर्ड के सदस्यों/वरिष्ठ प्रबंधक वर्ग के लिए आचार संहिता

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 से उद्धरण

''नातेदार'' का अर्थ है-

किसी व्यक्ति को दूसरे का नातेदार तभी माना जाएगा जब :-

(क) वे हिंदू अविभक्त कुटुम्ब के सदस्य हैं; अथवा

(ख) वे पति तथा पत्नी हैं; अथवा

(ग) उनमें से एक की उस अन्य से निम्नलिखित अनुसूची 1(क) में उपदर्शित प्रकार से नातेदारी है-

अनुसूची **1** क
नातेदारों की सूची

1. पिता
2. माता (जिसके अंतर्गत सौतेली माता आती है)
3. पुत्र (जिसके अंतर्गत सौतेला पुत्र आता है)
4. पुत्र की पत्नी
5. पुत्री (जिसके अंतर्गत सौतेली पुत्री आती है)
6. पिता का पिता
7. पिता की माता
8. माता की माता
9. माता का पिता
10. पुत्र का पुत्र
11 पुत्र के पुत्र की पत्नी
12 पुत्र की पुत्री
13 पुत्र की पुत्री का पति
14 पुत्री का पति
15 पुत्री का पुत्र
16 पुत्र के पुत्र की पत्नी
17 पुत्री की पुत्री
18 पुत्री की पुत्री का पति
19 भाई (जिसके अंतर्गत सौतेला भाई आता है)
20 भाई की पत्नी
21 बहन (जिसके अंतर्गत सौतेली बहन आती है)
22 बहन का पति।

<u>परिशिष्ट-**II**</u>

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड

<u>बोर्ड के सदस्यों/वरिष्ठ प्रबंधक वर्ग के लिए आचार संहिता</u>

<u>वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट</u> ओ

मैं .... एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा से इस बात की पुष्टि करता हूं कि मुझे जहां तक पता है और विश्वास है, मैंने 31 मार्च, 200__ को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान <u>बोर्ड के सदस्यों/वरिष्ठ प्रबंधक - वर्ग की आचार संहिता</u> के उपबंधों का पूर्णतः अनुपालन किया है।

हस्ताक्षर.................

नाम ....

पदनाम ....

तारीख ....

स्थान ....

***** प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक प्रस्तुत कर दी जानी चाहिए।

<u>परिशिष्ट-**III**</u>

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड

<u>बोर्ड के सदस्यों/वरिष्ठ प्रबंधक वर्ग के लिए आचार संहिता</u>

<u>पावती प्रपत्र</u>

मैं .... निगम की <u>बोर्ड के सदस्यों/वरिष्ठ प्रबंधक - वर्ग की आचार संहिता</u> (''इस संहिता'') को प्राप्त किया और पढ़ लिया हैं। मैंने इस संहिता में शामिल उपबंधों और नीतियों को भलीभांति समझ लिया है और मैं इस संहिता का अनुपालन करने पर सहमत हूं।

हस्ताक्षर.................

नाम ....

पदनाम ....

तारीख ....

स्थान ....

परिशिष्ट-IV

बोर्ड की कार्यविधि

क्रम संख्या	ब्यौरा	अभ्युक्तियां
1.	बोर्ड की बैठक के लिए नोटिस	बैठक की तारीख अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा निर्धारित की जाएगी। कारपोरेशन बोर्ड की बैठक का नोटिस कम से कम 10 दिन पहले फैक्स/ कूरियर से प्रेषित करेगा। बैठक की कार्य सूची कम से कम 7 दिन पहले कूरियर से भेजी जाएगी। हालांकि अनुपूरक कार्यसूची बोर्ड की बैठक से पहले किसी भी समय और बैठक के दौरान भी दी जा सकती है। अत्यावश्यकता की स्थिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक केवल एक दिन का नोटिस देकर (फैक्स द्वारा भी) बैठक बुला सकते हैं।
2.	बोर्ड की बैठक मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) की सलाह से निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार गैर-परीक्षित/परीक्षित खातों पर विचार करने के लिए बोर्ड की बैठकें निम्नलिखित प्रकार से बुलाई जा सकती है- प्रथम तिमाही - 31 जुलाई तक या पहले द्वितीय तिमाही - 31 अक्टूबर तक या पहले तृतीय तिमाही - 31 जनवरी तक या पहले चतुर्थ तिमाही - 30 अप्रैल तक या पहले	प्रथम कॉलम में निर्दिष्ट बोर्ड बैठकों के अलावा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ऐसी मद (मदों) के लिए बोर्ड की बैठकें बुला सकते हैं जिनका तत्काल आधार पर अनुमोदन किया जाना अपेक्षित हो या ऐसे प्रयोजनों के लिए बैठकें बुला सकते हैं जिनके लिए वे बैठक बुलाना उपयुक्त समझेंगे।
3.	परिचालन द्वारा संकल्प	बोर्ड कंपनी अधिनियम 1956 तथा निगम के संस्था अंतर्नियमों के अनुरूप परिचालन द्वारा संकल्प पारित कर सकता है। हालांकि ऐसे संकल्प को बोर्ड की अगली बैठक में अनुसमर्थित करवाना होगा।
4.	बोर्ड कार्यसूची मदें	वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही या आवश्यकतानुसार अंतरालों पर निगम के ग्रुप हैड संबंधित विभाग (विभागों) की कार्यसूची मदें (यदि कोई हो) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेंगे ताकि इन मदों को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके।
5.	बोर्ड को तिमाही अनुपालन रिपोर्ट भेजना	प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर विभिन्न विभाग सभी लागू कानूनों की अनुपालन रिपोर्ट तैयार करेंगे और उसे बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए कंपनी सचिव के पास

		भेजेंगे।
6.	निदेशक कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 299 के अधीन कारपोरेशन को किसी अन्य कंपनी में अपने हितों के विषय में अवगत कराएंगे	कारपोरेशन मार्च के प्रथम सप्ताह में इस धारा के अधीन नोटिस जारी किए जाने के लिए उपयुक्त प्रपत्र अग्रेषित करेगा और निदेशक इस प्रपत्र को भरकर कारपोरेशन के पास भेजेंगे और कारपोरेशन इसे बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेगा। लेकिन, वित्तीय वर्ष के दौरान ब्यौरे में किसी प्रकार का परिवर्तन होने की स्थिति में निगम का निदेशक सीधे सूचना देगा।
7.	अन्य मदों के अलावा निम्नलिखित मदों को भी सूचना/अनुमोदन के लिए समय-समय पर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा- (क) वार्षिक प्रचालन योजनाएं और बजट संबंधी अद्यतन जानकारी	 क) अगले वित्त वर्ष के बजट अनुमान और संशोधित बजट अनुमान 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच होने वाली बोर्ड की बैठक में बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाएं।
	(ख) पूंजीगत बजट और अद्यतन जानकारी, भिन्नता विश्लेषण और उसका स्पष्टीकरण (ग) कारपोरेशन के लिए त्रैमासिक परिणाम (घ) लेखा परीक्षा समिति और बोर्ड की अन्य समितियों की बैठकों का कार्यवृत्त ङ) बोर्ड के स्तर से एक स्तर नीचे के वरिष्ठ अधिकारियों की भर्ती और पारिश्रमिक तथा मुख्य वित्त अधिकारी एवं कंपनी सचिव की नियुक्ति एवं निष्कासन से संबंधित जानकारी च) कारण बताओ, मांग और अभियोजन के नोटिस और शास्ति नोटिस जो पर्याप्त रूप से महत्वपूर्ण हों। छ) घातक या गंभीर दुर्घटनाएं, खतरनाक घटनाएं, भौतिक बहःस्त्रोत या प्रदूषण संबंधी समस्याएं ज) निगम के प्रति या निगम के द्वारा वित्तीय कर्तव्यों में किसी प्रकार की महत्वपूर्ण चूक या निगम द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के लिए पर्याप्त प्राप्ति न होना। झ) कोई मामला जो महत्वपूर्ण प्रकृति के संभाव्य सार्वजनिक या उत्पाद देयता दावों से संबंधित हो इसमें वे निर्णय या आदेश भी शामिल हैं जिनमें कारपोरेशन के आचरण पर आक्षेप किया गया हो या किसी अन्य उद्यम के संबंध में प्रतिकूल दृष्टिकोण रखा गया हो	(ख) यथा उपर्युक्त (ग)प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के बाद एक माह के भीतर (घ)कारपोरेशन समिति की बैठक का कार्यवृत्त सभी निदेशकों को भेजेगा। ङ)बोर्ड को सूचित किया जाए च)बोर्ड को सूचित किया जाए छ)बोर्ड को सूचित किया जाए ज)बोर्ड को सूचित किया जाए झ) बोर्ड को सूचित किया जाए

	जिसका कारपोरेशन हेतु नकारात्मक निहितार्थ हो सकता हो। ञ)किसी संयुक्त उद्यम या सहयोगात्मक अनुबंध का भौतिक विवरण।	ञ)बोर्ड को सूचित किया जाए
	ट) लेन-देन जो सुनाम, ब्रांड, इक्विटी या बौद्धिक संपत्ति के लिए बड़े भुगतान से संबंधित हो। ठ) श्रम संबंधी महत्वपूर्ण समस्याएं और उनके प्रस्तावित समाधान। मानव संसाधनों/औद्योगिक संबंध फ्रंट जैसे वेतन अनुबंध पर हस्ताक्षर, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम का कार्यान्वयन आदि में कोई उल्लेखनीय घटनाक्रम। ड) ऐसे निवेशों, सहायिकियों, अचल परिसंपत्तियों की महत्वपूर्ण बिक्री जो सामान्यतया होने वाले कारोबार से अलग है। ढ) विदेशी मुद्रा उद्भासन का त्रैमासिक ब्यौरा और मुद्रा दर में प्रतिकूल उतार-चढ़ाव जोखिम को सीमित करने के लिए प्रबंधन द्वारा किए गए उपाय, यदि महत्वपूर्ण हों। ण) किसी विनियामक, सांविधिक प्रकृति का या सूचीबद्ध आवश्यकताओं और शेयरधारक सेवाओं जैसे लाभांश की अदायगी न होने, शेयर अंतरण में विलंब आदि का पालन न किया जाना। त) कोई संभावित कारोबारी जोखिम/खतरे और उसे कम करने के लिए किए गए/प्रस्तावित उपाय (धोखाधड़ी, आईपीआर खतरे, आई टी सुरक्षा चूकें आदि) थ) बाजार संबंधी कोई बड़ी रिपोर्ट/खबर।	ट)बोर्ड को सूचित किया जाए ठ)बोर्ड को सूचित किया जाए ड)बोर्ड को सूचित किया जाए ढ)बोर्ड को सूचित किया जाए ण)बोर्ड को सूचित किया जाए त)बोर्ड को सूचित किया जाए थ)बोर्ड को सूचित किया जाए